तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एल.आर/2959/2006/जोधपुर नरेन्द्र चौधरी बनाम सुमित्रा	नम्बर व तारीख

<u>न्यायालय – राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर</u>

<u>एकलपीठ</u>

श्री गणेश कुमार, सदस्य

उपस्थित–

श्री गौरव दवे, अधिवक्ता अपीलार्थीगण

श्री वी.एस. राठौड, अधिवक्ता, प्रत्यर्थीगण

आदेश

दिनांक 05.08.2022

अपीलार्थीगण ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत जिला कलक्टर, जोधपुर द्वारा प्रकरण संख्या–20/2005 बउनवानी नरेन्द्र चौधरी व अन्य बनाम श्रीमती सुमित्रा व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 12–04–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सांगरिया स्थित सहखातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 199, 204 एवं 204 बाबत् नारायण पुत्र छेलाराम, सुमित्रा पत्नी मदनलाल एवं अनीता पत्नी सोहनलाल ने आपसी सहमति से बंटवाडा इकरारनामा दिनांक 6–4–2005 तहसीलदार (भू.अ.) जोधपुर के समक्ष पेश कर सहमति के बंटवारा इकरारनामा अनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करने का निवेदन किया। तहसीलदार, भू–अभिलेख, जोधपुर द्वारा आदेश दिनांक 8–4–2005 से स्वीकार कर खाता विभाजन के आदेश पारित किये, जिसकी पालना में नामान्तरकरण संख्या–1976 दिनांक 16–4–2005 को तहसीलदार, (भू. अ.) जोधपुर द्वारा स्वीकृत किया। तहसीलदार द्वारा पारित आदेश एवं स्वीकृत नामान्तरकरण के विरूद्ध जिला कलक्टर, जोधपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 12–4–2006 में यह अंकित करते हुए कि दो पृथक–पृथक आदेशों के विरूद्ध एक ही अपील प्रस्तुत किया जाना मानते हुए खारिज कर दी। इसी निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस अपील सुनी।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने प्रारम्भिक आपत्ति का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर तर्क किया कि कलक्टर के आदेश के विरूद्ध अपील धारा 76 भू–राजस्व अधिनियम के तहत सम्भागीय आयुक्त को होगी, उसके आदेश के बाद यहां रिवीजन अन्तर्गत धारा 84 भू–राजस्व अधिनियम के तहत हो सकती है। अतः अपील खारिज की जावे।

विद्वान अाध्विक्ता अपीलार्थी का तर्क है कि सक्षम न्यायालय में अपील पेश करने हेतु लौटाई जावे या नई अपील पेश करने की अनुमति दी जावे।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एल.आर/2959/2006/जोधपुर नरेन्द्र चौधरी बनाम सुमित्रा	नम्बर व तारीख
	उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार, जोधपुर द्वारा नामान्तकरण संख्या 1967 दिनांक 16-04-2005 को तस्दीक किया एवं आदेश भी पारित किया गया और इस आदेश व नामान्तकरण के विरूद्ध नरेन्द्र चौधरी वगैराह द्वारा जिला कलक्टर, जोधपुर के यहां अपील 20/2005 नरेन्द्र चौधरी वगैराह बनाम सुमित्रा वगैराह प्रस्तुत की, जिसका निस्तारण दिनांक 12-4-2006 को करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील खारिज की गयी है और उसके आधार यह लिया गया कि नामान्तरकरण आदेश को चुनौती दिये बिना नामान्तकरण को चुनौती नहीं दी जा सकती। इस आदेश से व्यथित होकर मण्डल के समक्ष यह अपील पेश की गयी है। लेकिन विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से यह आपत्ति ली गयी है कि धारा 76 भू-राजस्व अधिनियम के तहत द्वितीय अपील सम्भागीय आयुक्त को होगी, मण्डल में नहीं हो सकती। धारा 76 भू-राजस्व अधिनियम के अवलोकन से यह प्रकट है कि भू-प्रबन्ध आयुक्त को अपील होगी यानि कि सम्भागीय आयुक्त को होगी और न्यायिक दृष्टान्त 2018 आरबीजे पेज 147 हरदीन बनाम स्टेट आफ राजस्थान में मण्डल की लार्जर बेंच द्वारा यह निर्धारित किया गया है जब नीचे की अदालत में अपील करने का प्रावधान हो तो वहीं पर कार्यवाही की जा सकती है। परिणामतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील संधारण योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है तथा मण्डल के समक्ष अपील के विचाराधीन रहने की अवधि को कण्डोन करते हुए 15 दिवस के भीतर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्रेषित प्रेषित हो। पत्रावली बाद इन्द्राज दाखिल दफतर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(गणेश कुमार)** सदस्य	